न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 415 सन 2021
अनवान :–

1. प्रदीप कुमार पुनिया पुत्र रणजीत पूनिया जाति जाट साकिन फेफानां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सोहन लाल पूनिया पुत्र रणजीत राम पूनिया जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 16/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/35 की कुल 3.7950हैक में से वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का नाम प्रदीप पुत्र रणजीत व वादी संख्या 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रणजीत दर्ज कर रखा है जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम प्रदीप कुमार पूनिया व वादी संख्या 2 का नाम सोहन लाल पूनिया है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम क्रमश प्रदीप कुमार पूनिया एवं सोहन लाल पूनिया है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जैसे भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्क शीट , मूल निवास पत्र , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम प्रदीप कुमार पूनिया , सोहन लाल पूनिया दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रदीप एवं सोहनलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रदीप , सोहलाल के स्थान पर प्रदीप कुमार पूनिया , सोहन लाल पूनिया संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/35 की कुल 3.7950हैक में से वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का नाम प्रदीप पुत्र रणजीत व वादी संख्या 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रणजीत दर्ज कर रखा है जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम प्रदीप कुमार पूनिया व वादी संख्या 2 का नाम सोहन लाल पूनिया है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम क्रमश प्रदीप कुमार पूनिया एवं सोहन लाल पूनिया है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जैसे भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्क शीट , मूल निवास पत्र , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम प्रदीप कुमार पूनिया , सोहन लाल पूनिया दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रदीप एवं सोहनलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/35 की कुल 3.7950हैक्‌ में से वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें वादीगण का नाम क्रमश प्रदीप , सोहनलाल दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय प्रदीप कुमार पूनिया , सोहनलाल पुनिया के स्थान पर प्रदीप , सोहनलाल दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग की मार्क शीट , मूल निवास प्रमाण पत्र सभी में वादी का नाम प्रदीप कुमार पूनिाय ख सोहनलाल पूनिया दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम प्रदीप कुमार पूनिया , सोहनलाल पूनिया होना प्रतित होता है तथा वादी ने अपने नामों के समर्थन में सरंपच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जिसके अनुसार भी वादी नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत फेफाना के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/35 की कुल 3.7950हैक्‌ में वादी संख्या 1 का नाम प्रदीप कुमार पुत्र रणजीत के स्थान पर प्रदीप कुमार पूनियां पुत्र रणजीत पूनिया एवं वादी संख्या 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रणजीत के स्थान पर सोहन लाल पूनियां पुत्र रणजीतराम पूनियां संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड (हनुमानगढ)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. प्रदीप कुमार पुनिया पुत्र रणजीत पूनिया जाति जाट साकिन फेफानां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सोहन लाल पूनिया पुत्र रणजीत राम पूनिया जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 415 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 40/35 की कुल 3.7950हैक्‍ में वादी संख्या 1 का नाम प्रदीप कुमार पुत्र रणजीत के स्थान पर प्रदीप कुमार पूनियां पुत्र रणजीत पूनिया एवं वादी संख्या 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रणजीत के स्थान पर सोहन लाल पूनियां पुत्र रणजीतराम पूनियां संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
उपखण्ड अधिकारी
नोहर